28/11/23 28/11/23 28/11/23 28/11/23

न्यायालय, भूमि सुधार उपसमाहर्ता, चास (बोकारो)।

नामांतरण (अपील) वाद संख्या– 01/2023–24

(हरिपद महथा एवं अन्य–बनाम–धरापति महथा एवं अन्य)

आदेश

अनुसूची 14–फारम संख्या–560

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
09/11/2023	प्रस्तुत वाद अंचल अधिकारी, चास के दाखिल–खारिज वाद संख्या–2765/R27/2023-24 में दिनांक 20.07.2023 को पारित आदेश के विरूद्ध 1. हरिपद माहथा, 2. तारापद माहथा, 3. अंबुज कुमार माहथा, तीनों के पिता–स्व0 महिन्द्री माहथा, 4. त्रिलोचन माहथा, 5. मनोज कुमार माहथा, 6. कुलदीप कुमार, तीनों के पिता स्व0 तुलसी माहथा, सभी सा0–बाँधगोड़ा, टोला–खेदाडीह, पोस्ट–सतनपुर, थाना–पिण्ड्राजोरा, जिला–बोकारो द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम नामांतरण अपील वाद दायर किया। तत्पश्चात् इस न्यायालय द्वारा अपील वाद को दाखिल करते हुए उभय पक्षों को सूचना निर्गत कर सुनवाई की गई।	

विवादित भूमि का विवरण					
मौजा	थाना नं0	खाता नं0 पुराना	नया खाता नं0	प्लॉट नं0	रकवा
बाँधगोड़ा	35	06	98 एवं 124	1150, 1161, 1144, 1141, 1176, 1136, 1153, 1151	2.86 एकड़

प्रथम पक्ष (अपीलार्थी) के द्वारा दाखिल अपील आवेदन में कहा गया है कि विवादित भूमि मौजा–बाँधगोड़ा, थाना नं0–35, खाता नं0–06, नया खाता नं0–98 एवं 124, प्लॉट नं0 1150, 1161, 1144, 1141, 1176, 1136, 1153, 1151, रकवा–2.86 एकड़ भूमि जिसे अपीलार्थी एवं विपक्षी के पूर्वज को टी.एस. वाद 131–1947/48 (Partition Suit) में माननीय न्यायालय सब जज, पुरूलिया के पारित आदेश के आलोक में भूमि मिली थी। टी.एस. वाद 131–1947/48 (Partition Suit) में दोनों अपीलार्थी एवं विपक्षी के पूर्वज को 1/3 हिस्सा न्यायालय के द्वारा प्रदान की गई थी। उनके विद्वान अधिवक्ता के द्वारा यह भी बताया गया कि वर्ष 1982–83 में Revisional Survey में विवादित भूमि में मौजा–बाँधगोड़ा, थाना नं0–35, खाता नं0–06, नया खाता नं0–98 में 19.89 एकड़ एवं 124 में 9.69 एकड़ भूमि में संयुक्त रूप से नाम दर्ज है। जिसकी लगान रसीद वर्ष 2017 एवं ऑन लाईन रसीद 2023 को अपने लिखित बयान में संलग्न कर बताया गया कि उक्त लगान रसीद में संयुक्त रूप से दोनों पक्षों का नाम दर्ज है। उनके विद्वान अधिवक्ता के

अनुसूची 14–फारम संख्या–560

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की ग. कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित

द्वारा बताया गया कि दाखिल–खारिज मुकदमा सं0–2765 / R27/2023-24 को रद्द करने हेतु अपीलकर्ता के द्वारा उपायुक्त, बोकारो, अपर समाहर्ता, बोकारो एवं अंचल अधिकारी, चास को दिनांक 13.07.2023 को लिखित आवेदन पत्र समर्पित किया गया था। लेकिन अंचल अधिकारी एवं उनके कर्मचारियों द्वारा विधिवत कार्रवाई एवं सुनवाई न करते हुए गलत ढंग से शपथ–पत्र (Notary Public Mr. R.N. Ghoshal, S.L. No. 6582, dated 05.06.2023) एवं मौखिक बँटवारा के आधार पर आदेश पारित किया। जिसके आलोक में प्रथम पक्ष (अपीलकर्ता) के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दाखिल–खारिज वाद सं0–2765 / R27/2023-24 में अंचल अधिकारी, चास के पारित आदेश के आलोक में धारा 15 (बिहार काश्तकार अधिनियम, 1973) के तहत अपील करते हुए निम्नांकित बिन्दुओं पर दाखिल–खारिज को रद्द करने हेतु अनुरोध किया गया है। 1. अंचल अधिकारी द्वारा अपीलकर्ता के लिखित आवेदन पर विधिवत सुनवाई न करते हुए, बिना हिस्सेदारों का पक्ष सुने एवं धारा 14 (2) (बिहार काश्तकार अधिनियम, 1973) न पालन करते हुए 03 दिनों के अन्दर नामांतरण वाद सं0 2765/R27/2023-24 में आदेश पारित किया। 2.राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा भूमि पर बिना स्थल निरीक्षण के अंचल अधिकारी को भूमि से संबंधित प्रतिवेदन दिया गया कि भूमि परती है, जबकि अपीलकर्ता का उक्त भूमि पर मकान, घर, बाड़ी एवं चापाकल अवस्थित है। 3. अंचल अधिकारी द्वारा धारा 3(4)(II) एवं 14(2) (बिहार काश्तकार अधिनियम, 1973) को न पालन करते हुए नामांतरण वाद सं0 2765/R27/2023-24 दिनांक 20.07.2023 को आदेश पारित किया गया। 4.अंचल अधिकारी द्वारा गलत साक्ष्य एवं गलत बँटवारा (शपथ–पत्र) के आधार पर आदेश पारित किया गया एवं शुद्धि–पत्र निर्गत कर पंजी 2 में नाम दर्ज किया गया।

द्वितीय पक्ष के द्वारा दाखिल लिखित कथन में कहा गया है कि यह वाद चलने योग्य नहीं है, इसे खारिज किया जाए। विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी बताया गया कि टी.एस. वाद 131–1947 / 48 (Partition Suit) में खाता नं0 6, प्लॉट नं0 985 कुल रकवा–61.96 एकड़ में माननीय न्यायालय, सब जज, पुरुलिया के पारित आदेश के आलोक में भूमि मिली थी। वर्ष 1951 में टी. एस. वाद 131–1947 / 48 (Partition Suit) में दोनों अपीलार्थी एवं विपक्षी के पूर्वज

यूपी ई–फारम संख्या–560

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित

को 1/3 हिस्सा न्यायालय के द्वारा प्रदान की गई थी। उनके विद्वान अधिवक्ता के द्वारा बताया गया कि वक्त बितने के साथ हिस्सेदारों की संख्या बढ़ी और सभी हिस्सेदार अपना रहना और खाना अलग–अलग अपने सुविधानुसार कर रहे हैं। तो यह कहना गलत है कि हिस्सेदार संयुक्त रूप से रह रहे हैं और खा रहे हैं। उनके अधिवक्ता द्वारा यह भी बताया गया कि विपक्षीगण का अपने जमीन पर दखल–कब्जा है, जो राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है। जिसके आधार पर संबंधित भूमि का नामांतरण किया गया है, जो उनके हिस्से के अंदर है। उनके विद्वान अधिवक्ता के द्वारा बताया गया कि अपीलकर्ता(प्रथम पक्ष) त्रिलोचन माहथा, मनोज माहथा एवं द्वारा दिनांक–27.04.2011 से 01.08.2018 के बीच विभिन्न क्रेता एवं विभिन्न केवाला द्वारा संबंधित भूमि (खाता नं० 06) को विपक्षीगण (द्वितीय पक्ष) के बिना सहमति के बिक्रय किया गया है। यह भी कहा है कि चूँकि वर्ष 1951 में टी.एस. वाद 131–1947/48 (Partition Suit) में भूमि संयुक्त रूप से उनके पूर्वज को मिली थी। अपीलकर्ता द्वारा कुल 15 से 20 केवाला के द्वारा भूमि बिक्री की गई है। लेकिन जब भूमि संयुक्त रूप से दोनों लोगों नाम से दर्ज है तो उनके द्वारा बिक्रय करना विधिवत नहीं है। उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि अपीलकर्ता द्वारा तथ्यों को छुपाकर आपके न्यायालय में वाद दाखिल किया गया है। उनके द्वारा बताया गया कि अपीलकर्ता द्वारा व्यवहार न्यायालय में O.S. No. 87/2023 द्वारा Permanent Injection & Cancelation of Order Dated 20.07.2023 Passed by C.O., Chas in Mutation Case no. 2765/R27 of 2023-24 एवं निर्गत शुद्धि–पत्र के Cancelation हेतु वाद दायर किया गया है। जिसके आलोक में विद्वान अधिवक्ता द्वारा 09.10.2023 को माननीय व्यवहार न्यायालय, जुनियर डिविजन में हाजरी एवं लिखित बहस दायर किया गया। उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी बताया गया कि प्रथम पक्ष द्वारा भूमि को पूर्व में भी बिक्रय की गई। द्वितीय पक्ष ने भय के द्वारा नामांतरण वाद अंचल में दाखिल किया कि कहीं प्रथम पक्ष उनके हिस्से के जमीन को भी बिक्री न कर दें। उनके द्वारा यह भी कहा गया है कि अंचल अधिकारी, चास द्वारा जल्दीबाजी न करते हुए नियमानुसार जाँच एवं सत्यापन कर, राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के प्रतिवेदन के

अनुसूची 14–फारम संख्या–560

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
	आधार पर 40 दिनों के अन्दर नामांतरण वाद में विधिवत आदेश पारित किया गया। इन्होनें यह भी कहा है कि विपक्षीकर्ता को जमीन संयुक्त रूप से माननीय न्यायालय के पारित आदेश टी.एस. वाद 131–1947/48 (Partition Suit) के आधार पर भूमि मिली थी, लेकिन अपीलकर्ता, त्रिलोचन माहथा द्वारा अपने हिस्से से ज्यादा भूमि केवाला सं0 2065, 2610, 2611, 7155, 7154 कुल रकबा–29.5 डी0 बिक्रय की गयी। प्रथम पक्ष, कहीं द्वितीय पक्ष के जमीन को बिक्रय न कर दें इसी डर के कारण द्वितीय पक्ष ने अंचल अधिकारी के समक्ष अपने हिस्से की भूमि के नामांतरण हेतु वाद दायर किया। जिसमें अंचल अधिकारी के द्वारा विधिवत आदेश पारित की गई है एवं अंत में द्वितीय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा अपील आवेदन को खारिज करने हेतु अनुरोध किया गया। उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं को सुना, अभिलेख में संधारित कागजातों का अवलोकन किया, एवं पाया कि प्रथम पक्ष के द्वारा ही इसी मामला को लेकर सक्षम न्यायालय में O.S. No. 87/2023 दाखिल किया गया है, जो वर्तमान में विचाराधिन है। अतः ऐसी परिस्थिति में किसी भी प्रकार का प्रभावकारी आदेश पारित करना उचित प्रतित नहीं होता है। वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। लेखापित एवं संशोधित भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, चास। 09/11/2023 भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, चास।	

1980
28/11/23

आवेदन की तिथि
आवेदन शुल्क 05 =
फोलियो शुल्क 04 =
तकनिकी शुल्क 06 =
अतिरिक्त शुल्क
बहुवेदन शुल्क
आवश्यक शुल्क
कुल योग 15 = (पन्द्रह) रूपये मात्र
प्रतिलिपि स्टाम्प
अनुमण्डल अभिलेखागार चास

जाँचा एवं मिलान किया गया
28/11/23
लिपिक

मेरे समक्ष छाया प्रति की गई
28/11/23
प्रतिलिपिक

प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि
प्रधान प्रतिलिपिक
अनुमण्डल अभिलेखागार, चास (बोकारो)

Digitally signed by PRABHASH KUMAR DUTTA
Date: 2025.01.14 14:20:30 +05:30
Location: 192.168.1.42